

कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, (फैजाबाद) अयोध्या।
सार्वजनिक नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जनपद न्यायालय परिसर, फैजाबाद (अयोध्या) में निम्नलिखित दूकानें नीलाम होनी हैं-

1. जलपान गृह (कैन्टीन)
2. शाकाहारी भोजनालय/जलपान गृह
3. लाई, चना ठेला
4. फ्रूट चाट एवं जूस ठेला

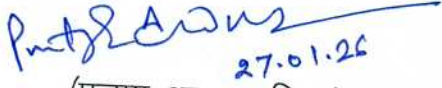
उक्त दूकानों की नीलामी दिनांक 01.03.2026 को अपरान्ह 4.00 बजे न्यायालय कक्ष अपर जिला जज एफ0टी0सी0 प्रथम, फैजाबाद (अयोध्या) में इस हेतु गठित अधोहस्ताक्षरियों की समिति के समक्ष निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जायेगी।

नीलामी हेतु शर्तें-

1. नीलामी खुली बोली के द्वारा जनसाधारण की उपस्थिति में होगी।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपनी बोली के अनुरूप सम्बन्धित तहसील से हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर बोली लगाने से पूर्व प्रस्तुत करेंगे।
3. नीलामी में बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति जलपान गृह (कैन्टीन) के लिए ₹0 25,000/-, शाकाहारी भोजनालय/जलपान गृह के लिए ₹0 25,000/-, लाई चना ठेला के लिए ₹0 10,000/- व फ्रूट चाट एवं जूस ठेला/गुमटी के लिए ₹0 5,000/- की धनराशि नीलामी की तिथि 01.03.2026 के दिन में 12.00 बजे तक कार्यालय में जमा करके नीलामी में प्रतिभाग कर सकेंगे।
4. जिस व्यक्ति ने पूर्व के वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित दूकानों की नीलामी का कोई बकाया धनराशि जमा नहीं किया होगा वह व्यक्ति इस नीलामी में बोली का पात्र नहीं होगा।
5. बोली अन्तिम रूप से स्वीकार होने की दशा में बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत बोली स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा व शेष 75 प्रतिशत धनराशि दिसम्बर, 2026 के द्वितीय सप्ताह तक जमा करनी होगी।
6. किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय, फैजाबाद (अयोध्या) का होगा।
7. बोलीकर्ता जिसकी बोली अन्तिम रूप से स्वीकार की गयी हो, वह निर्धारित स्थान पर ही अपनी दूकान लगायेगा। नीलामी के अनुसार स्वीकृत दूकानों के अतिरिक्त कोई अन्य दूकान खोलने की अनुमति नहीं होगी।
8. दूकान के सम्बन्ध में सुरक्षा व साफ-सफाई की पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकृत बोलीकर्ता दूकानदार की होगी।
9. दूकान में ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ का प्रयोग व बिक्री नहीं किया जायेगा, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।
10. स्वीकृत नीलामी के दूकानदार को विक्रय किये जाने वाली वस्तुओं की मूल्य सूची अपनी दूकान के सहज पदर्शित स्थान पर लगानी होगी।
11. जिन वस्तुओं का दूकानदार द्वारा दूकान से विक्रय की जानी है, उसके सम्बन्ध में वस्तुओं एवं मूल्यों की सामान्य सूचना दूकानदार द्वारा कार्यालय को दी जायेगी।
12. प्रत्येक दूकान में जितने भी सहयोगी/कर्मचारी कार्यरत होंगे उनका भी नाम पता व पहचान-पत्र का विवरण कार्यालय में ही दूकान संचालन के पूर्व प्रस्तुत करना होगा एवं नियमानुसार परिचय पत्र बनवाना होगा जिसे वे परिसर में धारण करेंगे।
13. कोई भी दूकानदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति सायं सात बजे से प्रातः 9 बजे के मध्य जनपद न्यायालय के परिसर में नहीं रुकेगा।
14. माननीय जनपद न्यायाधीश व प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग को समय-समय पर उक्त दूकानों का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु दूकानदार बाध्य

होगा।

15. यदि दूकान के संचालन में विद्युत की आवश्यकता हो तो दूकानदारों को स्वयं द्वारा नियमानुसार विद्युत विभाग से कनेक्शन प्राप्त कर विद्युत संयोजन कराना होगा, जिसके विद्युत बिल की भुगतान की जिम्मेदारी दूकानदारों की होगी।
16. स्वीकृत नीलामी के अनुसार दूकान चलाने की अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 (01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027) तक मान्य होगा।
17. दूकान के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर जनपद न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम होगा।
18. किसी भी तरह के विवाद का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायाधीश, फैजाबाद (अयोध्या) का होगा।

 27.01.26

(प्रत्युष आनन्द मिश्रा)
सदस्य, नीलामी समिति
जे0एम0-द्वितीय
अयोध्या।

 27/01/26

(महेन्द्र सिंह पासवान)
सदस्य, नीलामी समिति
ए0सी0जे0एम0-द्वितीय अपर जिला जज एफ0टी0सी0-प्रथम
अयोध्या।

 27/01/26

(प्रदीप कुमार सिंह-प्रथम)
अध्यक्ष, नीलामी समिति
ए0सी0जे0एम0-द्वितीय अपर जिला जज एफ0टी0सी0-प्रथम
अयोध्या।

संख्या:  के0-नजारत-फैजाबाद/अयोध्या दिनांक 27/01/2026 ई0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, अयोध्या।
2. नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर्स को इस आशय से प्रेषित कि वे माननीय उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय, फैजाबाद की वेबसाइट पर नीलामी सूचना अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, अयोध्या।
4. जिलाधिकारी, अयोध्या।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
6. अध्यक्ष, जिला परिषद, अयोध्या।
7. नोटिस बोर्ड, नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, अयोध्या।
8. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्रों को प्रकाशनार्थ।
9. जिला सूचना अधिकारी, अयोध्या को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन द्वारा प्रसार-प्रचार करने हेतु।
10. प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय, अयोध्या।
11. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, अयोध्या।
12. सम्बन्धित पत्रावली।

 27/01/26
केन्द्रीय नाजिर,
जनपद न्यायालय, अयोध्या।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, अयोध्या।

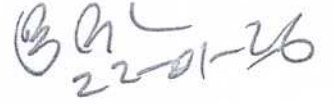
प्रकीर्ण आदेश संख्या- 48

सन 2026 ई0

वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु जनपद न्यायालय, (फैजाबाद) अयोध्या परिसर में स्थित जलपान गृह (कैंटीन), शाकाहारी भोजनालय / जलपान गृह, लाई-चना ठेला, फूट चाट ठेला की नीलामी होनी है।

अतएव उक्त दूकानों की नीलामी हेतु अधोलिखित न्यायिक अधिकारियों की नीलामी समिति गठित की जाती है। समिति नीलामी की तिथि निर्धारित कर नीलामी कार्यवाही सम्पन्न कराकर अपनी आख्या दिनांक 15.03.2026 तक मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगी।

1. श्री प्रदीप कुमार सिंह-प्रथम,
अपर जिला जज एफ0टी0सी0-प्रथम,
अयोध्या। अध्यक्ष
2. श्री महेन्द्र सिंह पासवान
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय
अयोध्या। सदस्य
3. श्री प्रत्यूष आनन्द मिश्रा
न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय
अयोध्या। सदस्य



जनपद न्यायाधीश,
अयोध्या।

संख्या 581 के0-नजारत-फैजाबाद / अयोध्या / दिनांकित: 22 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर जिला जज एफ0टी0सी0-प्रथम, अयोध्या।
2. ए0सी0जे0एम0-द्वितीय, अयोध्या।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय, अयोध्या।
4. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, अयोध्या।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

आदेशानुसार,


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय, अयोध्या।